



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

14 - अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या : 2904-पें०एवंआर०-28/पाकालि/11-46पी/89,

दिनांक : 19 अक्टूबर, 2011

1. समस्त प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल/केस्को/
विद्युत वितरण निगम लि०,
वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर/।
2. प्रबन्ध निदेशक
उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०,
शक्ति भवन, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत),
उ०प्र० पावर कारपोरेशन,
छठा तल, शक्ति भवन विस्तार,
लखनऊ।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता,
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,
लखनऊ।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता,
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,
शक्ति भवन, लखनऊ।
6. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग,
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,
महानगर लखनऊ।

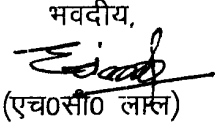
विषय : किसी माह की पहली तिथि को सार्वजनिक अवकाश होने की दशा में पूर्ववर्ती माह के अन्तिम कार्य दिवस को पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उ०प्र० शासन ने अपने आदेश संख्या स-3-493/दस-2011 दिनांक 25.07.2011 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा किसी माह की पहली तारीख को सार्वजनिक अवकाश होने की दशा में पूर्ववर्ती माह के अन्तिम कार्य दिवस को पेंशन का भुगतान किये जाने के आदेश निर्गत किये हैं। इन आदेशों में यह भी उल्लेखित है कि प्रश्नगत व्यवस्था मार्च माह की पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।

2. उपरोक्त शासनादेश द्वारा निर्गत व्यवस्था को उ०प्र० पावर कारपोरेशन एवं वितरण कम्पनियों एवं ट्रान्सकों के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों पर भी लागू किये जाने हेतु प्रश्नगत शासनादेश को एतद्वारा अंगीकृत किया जाता है।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

(एच०सी० लाल)

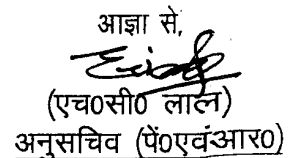
अनुसचिव (पें०एवंआर०)

संख्या : 2904 (I)पें०एवंआर०-28/पाकालि/11 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
2. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
3. अपर सचिव I/II उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशा०) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
8. मण्डल कार्यालय, पंजाब नेशनल बैंक, 1-2 रघुनाथ नगर आगरा/156 सिविल लाइन बरेली/लाला बाबू चौराहा राजे बाबू रोड, बुलन्दशहर/अल्हादपुर-गोरखपुर/कानपुर रोड-झोंसी/ बिरहाना रोड-कानपुर/10 अशोक मार्ग लखनऊ/प्रभात नगर साकेत मेरठ/पी०एन०बी० हाउस, राम गंगा बिहार फोर-11, मुरादाबाद/68 कम्बलवाला बाग, मुजफ्फरनगर/एस 20/56 डी द नाल कैनोडी रोड वाराणसी।
9. अधिशासी अभियन्ता (वेब) कक्ष सं०-407 शक्ति भवन लखनऊ, को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, की वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

माई कम्प्यूटर/ई०के०/माई डाक्यूमेंट/पेंशन/lalsir

आज्ञा से,

(एच०सी० लाल)
अनुसचिव (पें०एवंआर०)

प्रेषक,

वृन्दा सरूप,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- (1) निदेशक, कोषागार,
उ०प्र०, लखनऊ।
- (2) निदेशक,
पेंशन निदेशालय, उ०प्र०,
लखनऊ।

वित्त (सागान्य) अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक 25 जून, 2011

विषय:- किसी माह की पहली तिथि को सार्वजनिक अवकाश होने की दशा में पूर्ववर्ती माह के अंतिम कार्य दिवस को पेंशन के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

पेंशनर संगठनों एवं पेंशनरों द्वारा यह मॉग की जाती रही है कि किसी माह की पहली तिथि को सार्वजनिक अवकाश होने पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान पूर्ववर्ती माह के अंतिम कार्य दिवस को किये जाने संबंधी व्यवस्था के अनुसार किसी माह की पहली तिथि को सार्वजनिक अवकाश होने की दशा में पूर्ववर्ती माह के अंतिम कार्य दिवस को पेंशन का भुगतान किये जाने की व्यवस्था लागू की जाय।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण पर सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि किसी माह की पहली तारीख को सार्वजनिक अवकाश होने की दशा में पूर्ववर्ती माह के अंतिम कार्य दिवस को पेंशन का भुगतान किया जाय। यह व्यवस्था माह मार्च की पेंशन के भुगतान के संबंध में लागू नहीं होगी।

यह आदेश उत्तर प्रदेश राज्य के कोषागारों से सेवा पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे सभी सेवा पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों, सैन्य पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों अन्य राज्यों के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों आदि पर भी सामान्य रूप से लागू होंगे।

भवदीय,

(वृन्दा सरूप)
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या-सा-3-493(1)/दस-2011 तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
- (2) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।
- (3) समस्त वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (4) महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (5) प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (6) निदेशक, पेंशन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (7) निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(नील रतन कुमार)
संयुक्त सचिव